



न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना
दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-33/2018-19
संजीव कुमार बनाम राकेश कुमार वगैरह
(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
14/10/19	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संजीव कुमार, पिता कृष्णनेश्वर सिंह, ग्राम-अब्दुल्लाह चक, थाना-गौरीचक, पटना के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौदी के दाखिल खारिज अपील वाद सं0 41/2015-16 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम-2011 की धारा-8 के अंतर्गत दिनांक-12.07.2018 को पुनरीक्षण वाद प्राप्त हुआ है।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया। पंजीकरण के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 04.08.2018 को निर्धारित की गई। दिनांक-10.01.2019 से 26.09.19 तक लगातार 08 (आठ) तिथियों से अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को वाद संचालन में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है।</p> <p>इसलिए आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (राजीव कुमार श्रीवास्तव) अपर समाहर्ता, पटना। </div> <div style="text-align: center;">  (राजीव कुमार श्रीवास्तव) अपर समाहर्ता, पटना। </div> </div>	